कारी– कृष्णपाल सिंह चौहान (आर.ए.एस.)

ख्या :- 38/2016

ना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

1. श्री देवीलाल S/o मेघा जाट निवासी सालेरा
2. किशनलाल S/o शिवप्रसाद कोली नि. रतनपुरा
3. नरेश कुमार S/o शिवप्रसाद कोली नि० रतनपुरा
4. राजू पिता शिवप्रसाद कोली नि० रतनपुरा
5. दुर्गा पिता शिवप्रसाद कोली —"—
6. कमला बेवा शिवप्रसाद कोली --प्रार्थीगण —"—

बनाम

1. श्री भेरुलाल S/o दलीचन्द जाट नि० रतनपुरा
2. " रोशन S/o दलीचन्द जाट नि० रतनपुरा
3. " भंवर S/o दलीचन्द जाट नि० रतनपुरा
4. " शंकर S/o उदयसिंह जाट नि० रतनपुरा
5. " रोशन S/o उदयसिंह जाट नि० रतनपुरा
6. " सोहन S/o मांगीलाल पिथुलिया —"— --विपक्षीगण
7. राज्य : राज्य द्वारा तहसीलदार सहाड़ा

:: आदेश :: दिनांकः– ~~1-6-2016~~ 11.5.2016

~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम रतनपुरा पटवारी हल्का सालेरा तहसील, सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में आराजी नं. 653 रकबा 1.62 हैं व आ.नं. 654 रकबा 1.63 कुल किता 2 रकबा 3.25 हैं.

......कुल किता 2 रकबा 3.25 हैं भूमि है जिसकी सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने की इस्तदुआ की।

विपक्षी संख्या 7 पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार है। शेष विपक्षी संख्या 1 से लगायत 6 ~~बावजूद सूचना~~ सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहे जिससे इनके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है ।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया, तथा ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया । ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण अपनी कृषि जोत की पत्थर गढी कराने के अधिकारी है। विवादित आराजियात ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं0 653 रकबा 1.62 हैं. व आ.नं. 654 रकबा 1.63 हैं. ...... कुल किता 2 रकबा 3.25 है0 भूमि के चारो तरफ की सीमा की पुख्ता जानकारी के लिये कब्जे को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील सहाड़ा में ....रूपये बतौर शुल्क जमा करावे एवम प्रार्थी द्वारा पत्थर गढी की कमिश्नर फीस ....रूपये मात्र संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा । पत्रावली बाद